

लाडली बहनों को घरेलू गैस कनेक्शन गैस सिलिंडर रफिलि 450 रुपए में मल्लिगा

चर्चा में क्यों?

- 13 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' में पंजीकृत ऐसी लाडली बहनों, जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन है, उन्हें 1 सितंबर, 2023 से गैस सिलिंडर रफिलि 450 रुपए में उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शनधारी समस्त उपभोक्ता और गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पंजीकृत ऐसी लाडली बहनों, जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन है, इसके लिये पात्र होंगी।
- गैस सिलिंडर रफिलि के लिये अनुदान राशि पात्र कनेक्शनधारियों को 1 सितंबर, 2023 से देय होगी। बकाया राशि पात्र लाडली बहनों के खातों में डाली जाएगी।
- अनुदान राशि**
 - पात्रताधारी उपभोक्ताओं को प्रतमाह अधिकतम एक रफिलि पर अनुदान मल्लिगा।
 - पात्रताधारी उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी से रफिलि निर्धारित फुटकर विक्रय दर पर कर्य करना होगा।
 - भारत सरकार द्वारा दिये गए समस्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर (450 रुपए) को कम करने पर शेष राशि राज्य अनुदान के रूप में पात्रताधारी उपभोक्ताओं के आधार लकि बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
 - एलपीजी रफिलि की फुटकर विक्रय दर में परिवर्तन होने पर राज्य अनुदान भी परिवर्तित होगा।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर ऐसी बहनों को पंजीयन कथिा जाएगा, जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हैं। ऐसी बहनों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी लाभार्थी हो सकती हैं। पंजीयन का कार्य उन सभी केंद्रों पर कथिा जाएगा, जहाँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन होता है।
- पंजीयन के लिये गैस कनेक्शन कंज्यूमर नंबर एवं एलपीजी कनेक्शन आईडी आवश्यक होंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन आईडी योजना के अंतर्गत हतिग्राहियों की पहचान का कार्य सभी ऑयल कंपनी से प्राप्त डाटा के आधार पर शासन द्वारा भी कथिा जाएगा।
- शासन की ओर से स्वतः पंजीकृत हतिग्राहियों की जानकारी 25 सितंबर, 2023 से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा समय-समय पर उसे अद्यतन कथिा जाएगा।
- कैसे होगी अनुदान गणना?**
 - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी के लिये ऑयल कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन नंबर एवं उनके द्वारा माहवार प्राप्त रफिलि का डाटा प्रतमाह वभिाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - गैस रफिलि प्राप्तकर्ता उपभोक्ताओं को राशि 450 रुपए में रफिलि उपलब्ध कराने के लिये देय अनुदान की गणना वभिाग द्वारा की जाएगी। अनुदान राशि की गणना के बाद कुल राशि का भुगतान वभिाग द्वारा संबंधित ऑयल कंपनी के बैंक खाते में कथिा जाएगा।
 - ऑयल कंपनी द्वारा उपभोक्ता के आधार लकि बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान कथिा जाएगा। ऑयल कंपनी द्वारा हतिग्राहीवार अनुदान भुगतान की जानकारी वभिाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
 - 4 जुलाई, 2023 से 3 अगस्त, 2023 तक गैस सिलिंडर रफिलि कराने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से कथिा जाएगा।
 - गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी के लिये गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत लाडली बहनों का आईडी डाटा ऑयल कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा।
 - ऑयल कंपनी द्वारा गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन के डाटा का मलिन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत लाडली बहना के डाटा से कथिा जाएगा तथा ऑयल कंपनी द्वारा उनके गैस कनेक्शन नंबर, प्राप्त रफिलि एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी वभिाग को उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त डाटा के आधार पर देय अनुदान की गणना वभिाग द्वारा की जाएगी।
 - वभिाग द्वारा गैर पीएमयूवाई में गैस कनेक्शनधारी लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों के द्वारा रफिलि प्राप्त करने पर देय अनुदान की राशि का भुगतान उनके आधार लकि बैंक खातों में कथिा जाएगा। आवश्यकतानुसार इस व्यवस्था में परिवर्तन कथिा जा सकेगा।
- 4 जुलाई, 2023 से 3 अगस्त, 2023 तक गैस सिलिंडर रफिलि कराने वाली गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से कथिा जाएगा।
- शकियत नविरण तंत्र**
 - योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले हतिग्राहियों को राज्य अनुदान का भुगतान में आने वाली कठनाइयों एवं समस्याओं को दर्ज एवं

